

भाग- IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	खण्डवा जिले के अन्तर्गत तहसील पुनासा में न्यायालय के विभिन्न अनुभागों के निर्माण हेतु ग्राम पुनासा में 0.35 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	---

तिथि:-23.10.2020

स्थान:- भोपाल।


 (SUNIL AGRAWAL)
 Addl. P.C.C.F. (L.M.)
 Madhya Pradesh, Bhopal